



GOVT. OF N.C.T. OF DELHI: DELHI JAL BOARD  
OFFICE OF THE ASSISTANT COMMISSIONER (RR)  
ROOM NO. 311-A, VARUNALAYA PHASE-II,  
KAROL BAGH, DELHI-110005  
PH.011-23521266,E-MAIL:-acrr.djb@gmail.com

F. No. 1(81)/AC(RR)/2019/

15121

Dated :- 7/3/19

Please find enclosed herewith the copy of Gazette Notification of RRs for the post of Assistant Engineer (Civil) for your record and further necessary action.

Encl: As above

sdl-  
(VILAS RAMPAL)  
ASSTT. COMMISSIONER(RR)

AC(T)

Copy to:

1. Director (A&P): For kind information please.
2. EE(EDP) with the request to upload the above said Gazette Notification on the website of Delhi Jal Board (copy of gazette notification enclosed).

*Permal*  
07/03/2019  
ASSTT. COMMISSIONER(RR)



AE(EDP) CAE  
Reg-I 08-03-19

GOVERNMENT OF INDIA

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32] दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 19, 2019/माघ 30, 1940 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 736  
No. 32] DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 19, 2019/MAGHA 30, 1940 [N.C.T.D. No. 736

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 18 फरवरी, 2019

सं. फा. 16(502)/श.वि./जल/2015/278.—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उपधारा (2) के खंड (एम) के अन्तर्गत दिनांक 7 जुलाई 2017 को सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के अनुसार अनुमोदित तथा दिनांक 06 सितम्बर, 2017 के पत्र सं. फा. 3/24(8)/2015-आर आर के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग की सहमति से तथा दिनांक 11 अगस्त 2005 की अधिसूचना सं. फा. 16(7)/यूडी/जल/2003/7459 के अनुसार अधिसूचित सहायक अभियन्ता (सिविल) के भर्ती तथा पदोन्नति विनियमों के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई बातें या हटाये जाने वाली बातों को छोड़कर दिल्ली जल बोर्ड में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद की भर्ती पद्धति संबंधि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम इसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, अर्थात्—

- संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :- (1) इन विनियमों को दिल्ली जल बोर्ड सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद के भर्ती विनियम, 2018 कहा जाये।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :- उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं :- उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- अयोग्यता :- कोई भी व्यक्ति
  - जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से, विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह का अनुबंध किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

शर्त यह है कि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्तियों और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं/हैं, तो किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. छूट प्रदान करने की शक्ति :- जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श पर किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।
6. बचाव :- इन विनियमों में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

“अनूसूची”

1.	पदनाम	: सहायक अभियन्ता (सिविल)
2.	पदों की संख्या	: 332* (2018) इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	: श्रेणी “ख”
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	: स्तर - 7 (44900-142400/-रुपये)
5.	क्या चयन पद है या गैर चयन पद	: चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	: 30 वर्ष से अधिक नहीं नोट 1:- केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों तथा दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय। नोट 2:- आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि है तथा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीजन व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	: अनिवार्य :- (1). किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री नोट 1:- अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएँ रक्षाम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं भौक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी।	: लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	: सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिये दो वर्ष नोट - 1 परीवीक्षा के सफलतापूर्वक पूर्ण करने के भाग के रूप में पद के कर्तव्यों /दायित्व के क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा यथा इच्छित तथा प्रायोजित एक माह का अनिवार्य प्रेरक प्रशिक्षण
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	: (1). 73 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा अल्पकालिक संविदा सहित (2) 27 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है	: पदोन्नति:- ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 में तथा दिल्ली जल बोर्ड प्रशिक्षण संस्थान में एक सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा करने वाले कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)।

		<p>टीप 1:- जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)</b> केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ अर्धसरकारी या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों के निम्नलिखित अधिकारी:-</p> <p>क. (1) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (2) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा सहित या मूल संवर्ग/विभाग में समकक्ष, तथा (ख) कॉलम सात के अन्तर्गत सीधी भर्ती वालों के लिए शैक्षणिक योग्यता रखने वाले:-</p> <p>टीप 1: भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृंखला में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे।</p> <p>टीप 2: केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि भी सम्मिलित है। यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।</p>
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति सभिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	<p>“ख” वर्गीय विभागीय पदोन्नति सभिति (पदोन्नति /स्थायीकरण पर विचारार्थ)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. सदस्य (प्रशा.) दिल्ली जल बोर्ड-अध्यक्ष</li> <li>2. निदेशक (ए एण्ड पी), दिल्ली जल बोर्ड - सदस्य</li> <li>3. सहायक आयुक्त (जल) दिल्ली जल बोर्ड - सदस्य</li> </ol>
13.	वे परिस्थितियों जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

चन्द्रशेखर, उप सचिव (जल)

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 18th February, 2019

No.F.No.16(502)/UD/W/2015/278.—The following recruitment regulations made by the Delhi Water Board in exercise of the powers conferred by clause (m) sub-section (2) of section 109 read with sections 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act. No. 4 of 1998) approved vide Competent Authority orders dated 7<sup>th</sup> July, 2017 and concurred by the Union Public Service Commission vide letter F.No.3/24(8)/2015-RR dated the 6<sup>th</sup> September, 2017 and in supersession of the Assistant Engineer (Civil) recruitment and promotion regulations

notified vide notification F.16/(7)/UD/W/2003/7459 dated the 11<sup>th</sup> August, 2005, except as respects things done or omitted to be done before such supersession regarding method of recruitment to the post of Assistant Engineer (Civil) in the Delhi Water Board, Delhi are hereby published, namely :-

1. **Short title and commencement** - These regulations may be called the Assistant Engineer (Civil) in Delhi Jal Board Recruitment Regulation, 2018.
2. **Number of posts, classification and Level in the Pay Matrix** - The number of posts, their classification Level in the Pay Matrix and attached there to shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.
3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications** - The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
4. **Disqualification** - No person,
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;
 shall be eligible for appointment to the service:  
 Provided that Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any persons from the operation for this regulation.
5. **Power to relax** - Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving** - Nothing in these regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name Of The Post.	No. Of Post.	Classification.	Level In The Pay Matrix	Whether Selection Or Non-Selection Post	Age Limit For Direct Recruits.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Assistant Engineer (Civil)	332* (2018) Subject To Variation Dependent On Workload.	Category 'B'	Level-7 (Rs.44900-142400/-).	Selection.	Not Exceeding 30 Years.  (Relaxable For Government Servants And Employees Of The Delhi Jal Board Upto Five Years In Accordance With The Instructions Or Orders Issued By The Central Government.  <b>Note:</b> The Crucial Date For Determining The Age Limit Shall Be The Closing Date For Receipt Of Applications From Candidates In India (And Not The Closing Date Prescribed For Those In Assam, Meghalaya, Arunachal Pardesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladhakh Division Of J&K State Lahaul & Spiti District And Pangi Sub-Division Of Chamba District Of Himachal Pardesh, Andaman & Nicobar Islands)

